महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 13 मई, 2004

सं. टीएएमपी/13/2004-सीओपीटी. —महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा आईसीडी कंटेनर पर प्रहस्तन प्रभार पुन: प्रचलित करने के लिए कोचीन पत्तन न्यास (सीओपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव का, संलग्न आदेशानुसार, अनुमोदन करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/13/2004-सीओपीटी

कोचीन पत्तन न्यास (सीओपीटी) ——— आवेदक

आदेश

(मई, 2004 के चौथे दिन पारित)

यह प्रकरण आईसीडी कंटेनर पर अपने पूर्व-संशोधित दरमान के अनुसार प्रहस्तन प्रभार पुन: प्रचलित करने के लिए कोचीन पत्तन न्यास (सीओपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2.1. इस प्राधिकरण ने सीओपीटी के सामान्य संशोधन प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए दिनांक 16 दिसम्बर, 2003 को एक आदेश पारित किया था। यह आदेश (संशोधित) दरमान सहित 14 जनवरी, 2004 को राजपत्र सं. 14 द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था।

2.2. यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि (संशोधित) दरमान में 'अध्याय-4—कंटेनर संबंधी प्रभार' के अधीन रेल द्वारा आईसीडी कंटेनर के प्रहस्तन के लिए कोई दर निर्धारित नहीं की गई है क्योंकि सीओपीटी ने अपने प्रस्ताव में इसे शामिल नहीं किया था। परंतु, वर्ष 1999 के पूर्व-संशोधित दरमान (एसओआर) में रेल द्वारा आईसीडी कंटेनर के प्रहस्तन के लिए दरें शामिल थी।

3.1. सीओपीटी ने दिनांक 17 फरवरी, 2004 के अपने पत्र में कहा है कि उसके प्रस्ताव में इस मद के लिए प्रशुल्क शामिल नहीं किया गया था क्योंकि भारतीय कंटेनर निगम (कॉनकॉर) ने अपने वाहन का उपयोग करते हुए सड़क-मार्ग द्वारा अपने रेल टर्मिनल से आईसीडी कंटेनर के परिवहन का प्रस्ताव किया था, जिनमें उन्हें कंटेनर टर्मिनल में तत्संबंधी बॉक्स पर केवल एक लिफ्ट ऑफ प्रभार का भुगतान करना था। परंतु, कुछ कारणों से, कॉनकॉर का प्रस्ताव लागू नहीं किया जा सका।

3.2. इस परिप्रेक्ष्य में, सीओपीटी ने आईसीडी कंटेनर पर अपने पूर्व-संशोधित दरमान के अनुसार प्रहस्तन प्रभार पुन: प्रचलित करने के लिए इस प्राधिकरण से अनुरोध किया है। सीओपीटी ने इन दरों का पुन: प्रचलन 29 जनवरी, 2004 के पूर्वव्यापी प्रभाव से करने का अनुरोध भी किया है जोकि संशोधित दरमान के लागू होने की प्रभावी तारीख है।

1591 GI/2004

4.1. चूंकि सीओपीटी का प्रस्ताव पूर्व-संशोधित दरमान (एसओआर) में पहले से मौजूद दर को पुन: बहाल करने के लिए है, इसलिए सामान्य परामर्शी प्रक्रिया को आवश्यक नहीं समझा गया था।

4.2. सीओपीटी का प्रस्ताव नई प्रशुल्क मद प्रचलित करने के लिए नहीं है। सीओपीटी ने पहले से अनुमोदित दर को पुन: प्रचलित करने की मांग की है क्योंकि आईसीडी कंटेनरों के प्रहस्तन के लिए कॉनकॉर के साथ तैयार की गई संशोधित व्यवस्था व्यवहार में नहीं लाई जा सकी थी। चूंकि पहले अपनाई गई प्रचालन व्यवस्था आईसीडी कंटेनरों के लिए प्रभावी रहेगी, इसलिए इसे, वर्ष 1999 के दरमान में उसके लिए निर्धारित दर के साथ, जारी रखने में आपत्ति नहीं होगी।

4.3. सीओपीटी ने अपने प्रस्ताव को, इस प्राधिकरण द्वारा पारित सामान्य संशोधन आदेश के लागू होने की तारीख के पूर्वव्यापी प्रभाव से अनुमोदित करने की मांग की है। चूंकि प्रचालन एक सतत् प्रक्रिया है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, पूर्व-संशोधित दर को बिना किसी विराम के स्वीकृत करने के लिए उपयुक्त पाया गया है। इसीलिए, उसके (सीओपीटी) प्रस्ताव को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने के लिए सीओपीटी का अनुरोध स्वीकार किया गया है।

5.1. परिणामस्वरूप, और उपर्युक्त कारणों से, और समग्र विचार-विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण सीओपीटी के दरमान में 'अध्याय-IV-कंटेनर संबंधी प्रभार' के अंतर्गत 'अनुसूची 4.8-आईसीडी कंटेनर के लिए रेल द्वारा प्रहस्तन प्रभार' रूप में निम्नलिखित निवेशन को अनुमोदित करता है :

(रुपयों में)

विवरण	20'		40'	
	खाली	भरा हुआ	खाली	भरा हुआ
प्रहस्तन प्रभार : रेलमार्ग द्वारा आईसीडी	500	800	750	1200

5.2. यह दर दिनांक 16 दिसम्बर, 2003 के आदेश द्वारा अनुमोदित संशोधित दरमान के लागू होने की प्रभावी तारीख से लागू होगी। ये दरें पहले से लिए गए सामान्य नीति निर्णय के अनुसार अधिकतम स्तर होंगी।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[सं० एडीवीटी/III/IV/143/04-असाधारण]